# PROCEEDINGS

**SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES CELL**
**MOHANLAL DUKHADIA UNIVERSITY, UDIPUR (RAJASTHAN)**
**NATIONAL CONFERENCE**
**ON**
**SOCIAL JUSTICE: DR. BHIM RAO AMBEDKAR**
**JUNE 11-12, 2016**

## निष्कर्ष एवं सुझाव

अनुसूचति जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के तत्वाधान में आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के सौजन्य से Social Justice: Dr. Bhim Rao Ambedkar विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी 11–12 जून, 2016 को आयोजित की गई जिसका कि सफल समापन हुआ । इस संगोष्ठी में 21 शोध पत्रों का वाचन किया गया और लगभग 450 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

### उद्घाटन कार्यक्रम : 11–06–2016

| | | |
|---|---|---|
| उद्घाटन सत्र | : | समय प्रातः 11.30 बजे |
| मुख्य अतिथि | : | **श्रीमती मारग्रेट अल्वा**<br>भूतपूर्व राज्यपाल, राजस्थान सरकार |
| अध्यक्ष | : | **प्रो. इन्द्रवर्धन त्रिवेदी**<br>कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर |
| विशिष्ट अतिथि | : | **डॉ. जी.एस. सोन**<br>निदेशक एवं भूतपूर्व सदस्य सचिव, आई.सी.एस.एस.आर. नई दिल्ली |
| विशिष्ट अतिथि | : | **प्रो. बी.एल.मुंगेकर**<br>राज्य सभा सदस्य एवं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री |
| मुख्य वक्ता | : | **प्रो. आभा अवस्थी**<br>पूर्व विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग,<br>लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ<br>**प्रो. फरीदा शाह**<br>अधिष्ठाता, सामाजिकी विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर<br>**प्रो. पूरण मल यादव**<br>आयोजन सचिव, सामाजिकी विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय,मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर |

## समापन कार्यक्रम : 12–06–2016

| | | |
|---|---|---|
| उद्घाटन सत्र | : | समय प्रातः 10.30 बजे |
| मुख्य अतिथि | : | **श्री टी.सी. डामोर**<br>कुलपति, राजीव गांधी जनजातिय विश्वविद्यालय,उदयपुर |
| अध्यक्ष | : | **प्रो. फरीदा शाह**<br>अधिष्ठाता, सामाजिकी विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर |
| विशिष्ट अतिथि | : | **श्री गोपाल कोटिया**<br>सामाजिक कार्यकर्ता एवं अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी सदस्य, उदयपुर |
| विशिष्ट अतिथि | : | **श्री एस. डिसूजा**<br>गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर |
| मुख्य वक्ता | : | **प्रो. एम.एम.गोयल**<br>अधिष्ठाता एवं अर्थशास्त्री, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय |
| | | **प्रो. पूरण मल यादव**<br>आयोजन सचिव, सामाजिकी विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय,मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर |

विभिन्न तकनीकी सत्रों में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :–

1. Ambedkar's notion of social justice.
2. Present politics around social justice.
3. Representation of justice in media.
4. Right to live and die with dignity.
5. Role of NGO's in bringing about social justice.
6. Law enforcement and social justice.

आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में सामाजिक न्याय की अवधारणा एक बुनियादी दृष्टिकोण है। जो निरन्तर नये रूप ग्रहण करती हुई बढ़ रही है। स्वाधीन समाज में आज भी ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सामाजिक न्याय के लिये और अधिक काम करने की दरकार है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सामाजिक न्याय हेतु तमाम तरह की संवैधानिक गारंटियों के बावजूद भी हमारे जीवन व्यवहार में लागू करने के प्रयास और तेज करने होंगे।

सामाजिक न्याय की अवधारणा सभी नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में समान अवसरों की उपलब्धता है। भारत जो बेहतर और न्यायपूर्ण सामाजिक, आर्थिक तंत्र हेतु निरन्तर नये और रचनात्मक ढंग में विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है। सामाजिक न्याय की धारणा को अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिये व्यापक आयाम देना आवश्यक बन गया है। आज की वैश्विक दुनियां में जहाँ तमाम धारणाओं पर नये सिरे से विचार हो रहा है हमें हमारी समझ को इन वर्गों के लिये और परिपक्व बनाना चाहिए। दरअसल सामजिक न्याय की धारणा हमारे मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों में वितरनात्मक न्याय की अवधारणा है। जो समाज की विशेषाधिकार पूर्ण दशाओं को खारिज करती है।

भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो कानूनी एवं संरचनात्मक दोनों तरह की न्याय रखती है। अंबेडकर इसके पथदर्शक थे। स्वाधीन भारत में स्वप्नदृष्टा अंबेडकर सामाजिक न्याय को वास्तविक न्याय को वास्तविक जीवन स्थितियों में लागू करने वाले चिंतको में से थे।

उनके लिये न्याय समतामूलक समाज के निर्माण का बुनियादी आधार है जहाँ स्वतंत्रता निवास करती है। अंबेडकर की दृष्टि में सामाजिक न्याय विचार मनुष्य–मनुष्य के बीच विषमतामूलक संबंधों को खत्म करना है। उनका यह मानना था कि यथेष्ट न्याय के लिये कानूनी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक न्याय भी जरूरी है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने वैचारिक एवं सामाजिक स्तर पर ताउम्र बहुआयामी संघर्ष किया।

अंबेडकर आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय के प्रतिपादक चिंतक थे। उनके लिये सामाजिक न्याय पद सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित है। उनकी दृष्टि में सामाजिक न्याय का उद्देश्य जाति, वर्ग, लिंग, सत्ता, सामाजिक दर्जा और संपत्ति आधारित तमाम तरह की सत्ता केन्द्रित विषमताओं को खत्म करना है। सामाजिक न्याय का दर्शन, समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और आर्थिक संसाधनों को समान वितरण पर बल देता है।

अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भी थे। वे भारतीय समाज की जटिलताओं और समस्याओं के बारे में पूरी तरह सजग थे। समाज के विभिन्न तबकों को आकांक्षाओं और उनके परस्पर विरोधी हितों के बीच विद्यमान संघर्ष को भी वे अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने सामाजिक न्याय और सामाजिक लोकतंत्र को मानव मात्र के लिये प्राप्त करने की कोशिश की। वर्तमान भारतीय समाज व्यवस्था और सरकार को भी इसी प्रकार की कोशिश करनी चाहिऐ जिससे की इन वर्गों को सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। वे सामाजिक न्याय को राष्ट्रहित और राष्ट्रीयता के बुनियादी आधार के रूप में देखते थे। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में वर्ण, न्याय, अरस्तू–प्लेटो का न्याय प्रारूप, गांधी का सर्वोदय व्यवस्था और यहाँ तक की मार्क्स का सर्वहारा का समाजवाद सम्बन्धी सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया।

अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा तमाम मानव जाति की एकता और समता को निहित रखती है। महिला–पुरूष की समान महत्ता, कमजोर, गरीब का सम्मान, पारस्परिक– प्रेम, सहनशीलता, मानवाधिकारों की गरिमा को हमारे सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बनाने के लिये जाति भेदभाव को नकारना प्राथमिक मानते थे। वर्तमान समाज व्यवस्था में यह जहर अभी भी ग्रामीण स्तर पर फैला हुआ है। कई तरह की निर्योग्यताएं इन वर्गों के उपर लाद दी गई है। जिससे विकास अवरूद्ध हो गया है। और सामाजिक व्यवस्था में समरसता नहीं आ पाई है। जिससे सर्वांगीण विकास का नारा खोखला दिखाई दे रहा है। इन वर्गों के लिये शिक्षा, सत्ता–सम्पत्ति में भागीदारी भावनात्मक एकता पर बल दिया जाना चाहिए। इनकी सामाजिक न्याय की अवधारणा का उद्देश्य मानव निर्मित तमाम तरह की विषमताओं और उनके तमाम रूपों को कानूनी, नैतिक और सामाजिक अंतरचेतना के द्वारा समाप्त करना रहा। और इसी अवधारणा को वर्तमान समय में इन वर्गों के लिये लागू करना चाहिये। सरकार एवं समाज को अम्बेडकर के विचारों को ध्यान में रखते हुए इन वर्गों के लिये यथेष्ट न्याय के लिये व्यवस्था जो कर रखी है उसे धरातल पर लागू करना चाहिये।